न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास–डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस

प्रार्थना पत्र (अवमानना) संख्या – 24 / 2018
जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर–2018 / 00082

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
बशीर खां पुत्र रसूल खां जाति सिपाही मुसलमान आयु 61 वर्ष निवासी झुझण्डा, तहसील मूण्डवा, जिला नागौर		रफीक खां पुत्र भंवरू खां आयु 51 वर्ष जाति सिपाही मुसलमान निवासी झुझण्डा, तहसील मूण्डवा, जिला नागौर

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री कैलाश गालवा।
2. अप्रार्थी की ओर से वकील श्री भंवरलाल चौधरी।

आदेश **दिनांक :** 12/11/2020

वकील प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 2(क) सीपीसी के तहत प्रस्तुत किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

वकुलाय की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी ने एक अपील विरूद्व अप्रार्थी रफीक व बाबू पुत्र जलालुदीन व तहसीलदार मूण्डवा के विरूद्व नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1970 के तहत मौजा झुझण्डा तहसील मूण्डवा के खसरा नम्बर 69 रकबा 15.15 बीघा भूमि जो अप्रार्थी बाबू पुत्र जलालुदीन के पिता जलालुदीन पुत्र मुनीरदीन जाति मुसलमान के पक्ष में दिनांक 24.10.1979 को उक्त भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ एसडीओ साहब व सलाहकार समिति केम्प नागौर द्वारा आवंटित की गई थी, लेकिन उक्त भूमि पर कभी भी जलालुदीन व उसके पुत्र बाबू के कभी भी काश्त नही की, क्योंकि भूमि मौके पर काश्त योग्य नही थी।

प्रार्थी ने सम्पूर्ण दस्तावेज निकालकर अप्रार्थी के विरूद्व नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1970 के तहत न्यायालय हाजा में दिनांक 02.05.2017 को एक अपील पेश की, जिसके साथ उसी दिन स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 45 / 2017 बअनवान बशीर खां बनाम बाबू वगैरह पेश किया गया था, जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 04.05.2017 को वकुलाय की बहस सुनकर मौजा झुझण्डा के खसरा नम्बर 69 रकबा 15.15 बीघा भूमि की मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश पारित किया एवं पत्रावली बाद तामिल आवंटन पत्रावली की तलबी हेतु नियत थी तथा स्थगन आदेश निरन्तर जारी ।

मौजा झुझण्डा के खसरा नम्बर 69 रकबा 15.15 बीघा भूमि पर अप्रार्थीगण को मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश की जानकारी अप्रार्थी रफीक खां पुत्र भंवरू खां की भली भांति होने के उपरांत भी दिनांक 25.04.2018 को अप्रार्थी रफीक खां पुत्र भंवरू खां ने प्रेमाराम व बस्तीराम की जेसीबी किराये पर लाकर शाम के 05:00 बजे उक्त भूमि पर बनी 60 वर्षो से अधिक समय से बनी पत्थरो की खाने जो लगभग 2–3 बीघा में स्थित हैं, जिसमे ग्रामवासी झुझण्डा मृत पशु डालने का हड्डी खोडा के रूप में काम लेते आ रहे हैं, में रेत व पत्थर डालकर भरना शुरू की एवं काफी हद तक भर भी दिया गया तथा मौके पर कितने पेड़ थे सब गिरा दिये एवं [illegible] के बावजूद भी मौके पर जमीन को खुर्द बूर्द कर दी, जबकि अप्रार्थी रफीक खां को न्यायालय [illegible] के आदेश की पूर्ण जानकारी थी लेकिन न्यायालय हाजा के आदेश की अवहेलना करते हुए पूरी रात भर [illegible] मशीनो से भूमि को खुर्द बूर्द कर न्यायालय हाजा के आदेश की खुलमखुला अवहेलना की गई [illegible] प्रार्थी द्वारा मना [illegible] पर मरने मारने पर उतारू हो गया, जबकि अप्रार्थी रफीक द्वारा किया गया कृत्य अवैध व विधि एवं न्यायालय हाजा के आदेश की अवहेलना है, जिस कारण अप्रार्थी रफीक के विरूद्व कानूनी कार्यवाही करते हुए कारावास की सजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.05 19:18:31 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

सुनाई जाना आवश्यक व न्याय संगत है। इस संबंध में दिनांक 24.04.2018 को ग्रामवासी झुझण्डा के व्यक्ति भी इस संदर्भ में श्रीमान जिला कलक्टर महोदय नागौर के समक्ष उक्त भूमि के संबंध में प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया, जिसकी प्रति साथ पेश है।

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को मौके पर किये जा रहे कृत्य को रोकने का निवेदन करने पर माना नहीं तो प्रार्थी ने उसी दिनांक 25.04.2018 को सायं 06:00 बजे तहसीलदार मूण्डवा को अप्रार्थी रफीक द्वारा किये जा रहे कृत्य एवं मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति रखने के दस्तावेज दिखाकर जेसीबी मशीने बंद करवाने व अप्रार्थी रफीक खां के विरूद्व कार्यवाही करने का निवेदन किया, लेकिन तहसीलदार मूण्डवा ने न्यायालय हाजा के आदेश का अवलोकन करने के बाद भी किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की एवं प्रार्थी व उसके साथ गये व्यक्तियों को सुबह आने का कथन किया, जिस पर दिनांक 26.04.2018 को सुबह 10 बजे प्रार्थी व ग्रामवासी झुझण्डा के अन्य व्यक्ति गये, लेकिन फिर भी किसी प्रकार की कार्यवाही नही की एवं स्थगन आदेश पढने के बाद टालमटोल कर वापिस निकाल दिये। इस प्रकार तहसीलदार मूण्डवा स्थगन आदेश में पक्षकार होते हुए व न्यायालय हाजा के आदेश में तहसीलदार मूण्डवा पर मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के स्पष्ट आदेश होने के उपरांत भी न्यायालय हाजा के आदेश की अवहेलना जानबूझकार की गई, जिससे तहसीलदार मूण्डवा के विरूद्व भी कानूनी कार्यवाही करने का आदेश दिया जाना उचित व न्याय संगत है।

अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 25.04.2018 को न्यायालय हाजा के स्थगन आदेश होने एवं आदेश की भलीभांती जानकारी होने के उपरांत भी अप्रार्थीगण ने खुले रुप से आदेश की अवहेलना की गई, जिन्हे कारावास व जुर्माने से दण्डित किया जाना उचित व न्याय संगत होने का कथन करते हुए मौजा झुझण्डा के खसरा नम्बर 69 रकबा 15.15 बीघा भूमि पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 04.05.2017 को मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा उक्त आदेश तारीख पेशी 10.05.2018 तक जारी होने के दौरान दिनांक 25.04.2018 को आदेश का खुला उल्लघंन करने के कारण अप्रार्थीगण को कारावास व जुर्माने में दण्डित करने का आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया।

वकील अप्रार्थी ने अप्रार्थी की ओर से बहस में कथन किया कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्व मौजा मूण्डवा तहसील मूण्डवा के खसरा नम्बर 69 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा भूमि के संबंध में धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र बिना किसी आधार के पेश किया। उक्त भूमि दिनांक 14.10.1979 के पूर्व से ही अप्रार्थी बाबू खां व उससे पहले उसके पिता जलालुदीन के कब्जे काश्त की रहती आयी है। तथा मौके पर काबिज काश्त भूमि है।

प्रार्थी ने बिना किसी आधार के आवंटन निरस्त करने के लिए आवेदन पेश किया है, जिस पर न्यायालय से वास्तविक स्थिति व मौके की स्थिति को छिपाते हुए एकतरफा स्थगन आदेश प्राप्त किया है, जो अपास्त होने योग्य है।

वादग्रस्त भूमि पर विकय के पश्चात दिनांक 24.01.2011 से अप्रार्थी संख्या 1 रफीक खां का कब्जा काश्त बतौर खातेदार चला आ रहा है तथा वह उक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज है, जिस पर पुराना मकान बना है। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि दिनांक 25.04.2018 को अप्रार्थी रफीक खां ने प्रेमाराम व बस्तीराम की जेसीबी किराये पर लाकर कथित हड्डी खोड़ा के गड्डे को रेत व पत्थर डालकर भरना शुरू कर दिया हो। बल्कि उक्त जमीन पर कभी कोई हड्डी खोड़ा नहीं रहा तथा अप्रार्थी ने मौके की स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया। प्रार्थी के सारे कथन मिथ्या व बेबुनियाद है। इस संबंध में प्रार्थी ने अतिरिक्त कलक्टर नागौर के समक्ष भी शिकायत की थी। तब दिनांक 29.03.2017 को पटवारी हल्का व आर.आई. व उसके पश्चात दिनांक 26.0[illegible] को पटवारी हल्का ने प्रार्थी रफीक खां की मौजूदगी में निरीक्षण किया था। मौका [illegible] 26.04.2018 के अवलोकन से स्पष्ट है कि, मौके की स्थिति में अप्रार्थी द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जब अप्रार्थी वादग्रस्त भूमि का खातेदार व काबिज काश्तकार है तो [illegible] अपनी भूमि की साफ सफाई करने का भी पूर्ण अधिकार है व इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि मौके की स्थिति में परिवर्तन किया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.05 19:18:31 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)
कलक्टर, नागौर

तहसीलदार के आदेश पर भी दिनांक 26.04.2018 को पटवारी हल्का ने मौका निरीक्षण करके प्रार्थी की मौजूदगी में रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि न्यायालय के किसी आदेश की अवहेलना नहीं की गई है। प्रार्थी अप्रार्थी पर मनगढ़त आरोप लगाकर तंग व परेशान कर रहा है।

जब अप्रार्थी स्थगन आदेश के पूर्व से ही काबिज है तो उसे उक्त भूमि को उपयोग उपभोग में लेने का पूर्ण अधिकार है तथा काबिज खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार का स्थगन आदेश जारी नहीं किया जा सकता। तथा किसी भी एकतरफा स्थगन आदेश के बाद भी मौके पर काबिज रहने व उक्त भूमि का काबिज काश्तकार द्वारा उपयोग व उपभोग करने पर आदेश की अवहेलना नहीं मानी जा सकती।

धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 क प्रकरण में आदेश 39 नियम 2क सी.पीसी. लागू नहीं होता है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रकरण संधार्य नहीं होने से खारिज होने योग्य होने का कथन करते हुऐ प्रार्थी का उक्त आवेदन खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा बशीर खां द्वारा मौजा झुझण्डा तहसील मूण्डवा के खसरा नम्बर 69 रकबा 15.15 बीघा भूमि जो बाबू पुत्र जलालुदीन के पिता जलालुदीन पुत्र मुनीरदीन जाति मुसलमान के पक्ष में कृषि प्रयोजनार्थ एसडीओ साहब व सलाहकार समिति केम्प नागौर द्वारा आवंटित की गई थी, जिसका नामान्तरकरण दिनांक 24.10.1979 को जलालुदीन के नाम भरा गया के विरूद्ध नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1970 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवंटन को निरस्त करने हेतु निवेदन किया, जिस पर राजस्व मामला संख्या–57/2017 बशीर खां बनाम बाबू वगैरह दर्ज कर बाद सुनवाई न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 05.03.2020 को प्रार्थी बशीर खां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया है।

उपर्युक्त प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी बशीर खां द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 45/2017 बशीर खां बनाम बाबू, रफीक खां व राज0 सरकार जरिये तहसीलदार मूण्डवा में आदेशिका दिनांक 04.05.2017 अनुसार निम्नानुसार आदेश पारित किया गया– ***"प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए तहसीलदार मूण्डवा को प्रकरण में वादग्रस्त जायगा की मौके की तथा राजस्व रिकार्ड की आगामी पेशी 22.5.17 तक वर्तमान यथास्थिति बनाये रखने का लिखा जावे।"*** उक्त आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में वादग्रस्त जायगा की मौके की व राजस्व रिकार्ड की वर्तमान यथास्थिति बनाये रखने हेतु तहसीलदार मूण्डवा को लिखने का आदेश होने से तहसीलदार मूण्डवा उक्त आदेश से पाबन्द रहे है। प्रार्थी बशीर खां द्वारा हस्तगत अवमानना प्रकरण में तहसीलदार मूण्डवा जो उक्त आदेश से पाबन्द एवं आवश्यक पक्षकार थे, जिन्हे पक्षकार हीं नहीं बनाया है तथा रफीक खां जो उक्त आदेश से स्पष्ट रूप से पाबन्द नहीं रहे है, उन्हे पक्षकार बनाया जाकर रफीक खां के विरूद्ध अवमानना के संबंध में कार्यवाही करने का वकील प्रार्थी का निवेदन है, जो उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त उक्त प्रकरण में प्रार्थी का मूल प्रकरण राजस्व मामला संख्या–57/2017 बशीर खां बनाम बाबू वगैरह दर्ज कर बाद सुनवाई न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 05.03.2020 को प्रार्थी बशीर खां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया है। वकील अप्रार्थी का कथन कि तहसीलदार के आदेश पर भी दिनांक 26.04.2018 को पटवारी हल्का ने मौका निरीक्षण करके प्रार्थी की मौजूदगी में रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि न्यायालय के किसी आदेश की अवहेलना नहीं की गई है। उपर्युक्त परिस्थितियों में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अवमानना प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अवमानना प्रार्थना पत्र सारहीन होने से अप्रार्थी रफीक खा के विरूद्ध अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश सुनाया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.05 19:18:31 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलेक्टर, नागौर